


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना.स्था/2018 दिनांक 21.08.2018 द्वारा श्री ओमप्रकाश वर्मा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सूथडी जिला जालौर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भाटीप, रानीवाड़ा, जिला जालौर किया गया था जिसके विरुद्ध श्री ओमप्रकाश द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3101/2018 ओमप्रकाश वर्मा बनाम श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर दायर की गई।

प्रकरण में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.09.2018 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 21.08.2018 को अनियमित एवं विधि विरुद्ध बताते हुए अपीलार्थी श्री ओमप्रकाश की सीमा तक एतद् द्वारा अपास्त किया गया है।

अतः श्री ओमप्रकाश वर्मा, प्रधानाचार्य माननीय अधिकरण के आदेश की अनुपालना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सूथडी जिला जालौर में प्रधानाचार्य के पद पर यथावत कार्यरत रहेंगे।


(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस


निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 20.09.18

क्रमांक:-शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/ओमप्रकाश/3101/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, /पाली।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा जालौर को पाबन्द किया जाता है कि वे आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा-जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित कार्मिक/अपीलार्थी।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्र.अ./स्थाना/2018 दिनांक 21.08.2018 द्वारा श्रीमती सावित्री, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खुनखुना, डीडवाना जिला नागौर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय-आकोदा, मौलासर जिला नागौर किया गया था जिसके विरुद्ध श्रीमती सावित्री द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 3092/2018 सावित्री बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2018 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 21.08.2018 का क्रियान्वयन अपीलार्थी के नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिति में अपीलार्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया है।

अपीलार्थी द्वारा राउमावि-आकोदा, मौलासर जिला नागौर में कार्यग्रहण कर लिये जाने के फलस्वरूप विभागीय आदेश दिनांक 21.08.2018 माननीय अधिकरण के आदेशानुसार पुनः प्रभावी हो गया है। अतः उक्त आदेश की अनुपालना में श्रीमती सावित्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आकोदा, मौलासर जिला नागौर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहेंगी।

इन्हें यात्रा-भत्ता एवं योगकाल नियमानुसार देय होगा।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 20/09/2018

क्रमांक:-शिविरा-मा./संस्था/बी-2/सावित्री/अपील/3092/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, नागौर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा-जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित कार्मिक/अपीलार्थी

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)